Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ जालोर में सब रजिस्ट्रार कार्यालय का कनिष्ठ सहायक 1 लाख 11 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, एक कनिष्ठ सहायक और दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) मौके से हुये फरार, तलाश जारी

जयपुर, *13 मई, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर जालोर इकाई द्वारा कार्यवाही करते हुये विक्रम सिंह कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सब रजिस्ट्रार, जालोर को परिवादी से **1 लाख 11 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी. बी. की जालोर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने की एवज में विक्रम सिंह कनिष्ठ सहायक व राणा राम कनिष्ठ सहायक कार्यालय सब रजिस्ट्रार, जालोर द्वारा अपने दलाल हीरालाल (अधिवक्ता–प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से **1 लाख 60 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री कैलाश चंद विश्नोई** के सुपरवीजन में एसीबी जालोर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महावीर सिंह राणावत** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **पुलिस निरीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह चारण** एवं उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये विक्रम सिंह पुत्र श्री महेन्द्र सिंह निवासी जालोर हाल कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सब रजिस्ट्रार, जालोर को परिवादी से **1 लाख 11 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आरोपी राणा राम कनिष्ठ सहायक कार्यालय सब रजिस्ट्रार, जालोर एवं दलाल हीरालाल (अधिवक्ता–प्राईवेट व्यक्ति) एसीबी कार्यवाही की भनक लगने के कारण मौके से फरार हो गये हैं, जिनकी सघन तलाश जारी है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।